रजिस्ट्री सं० डीएल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 234] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 8, 1997/चैत्र 18, 1919
No. 234] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 8, 1997/CHAITRA 18, 1919

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(सिक्का-II कक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1997

का. आ. 308 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 3 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि एम. एम. टी. सी. लिमिटेड के ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स, जी ब्लाक, झंडेवालान फ्लेटेड कारखाना कॉम्प्लेक्स, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055 में स्थित मेडालेन विनिर्माणकारी एकक में स्थित टकसाल का तारीख 8-4-97 से उत्पादन कर दिया जाएगा ।

[सं. 5/6/96-सिक्का-II]
एम. पी. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Coin-II Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 1997

S. O. 308 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 3 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby directs that on and with effect from 8-4-97 the Mint at Medallion Manufacturing Unit situated in Jewellery Complex of MMTC Limited, G Block, Jhandewalan Flatted Factories Complex, Rani Jhansi Road, New Delhi-110055 shall be abolished.

[No. 5/6/96-Coin-II]
M. P. SINGH, Under Secy.

893 GI/97

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997